भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 560

जिसका उत्तर दिनांक 01.12.2021 को दिया जाना है

परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा

560. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा के बारे में संदेह व्यक्त करने वाली और/अथवा रिएक्टरों में रिसाव की घटनाओं की खबरें सरकार की जानकारी में आई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) रिएक्टर कोर में खराबी और सुरक्षा से संबंधित अन्य मुद्दों के कारण नागरिकों को क्षेत्र से निकालने के लिए प्रोटोकॉल संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो क्या आपातकालीन दलों और सुरक्षा बलों के साथ नियमित आधार पर प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किए जाते हैं ?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) पिछले तीन वर्षों में देश में किसी नाभिकीय विद्युत परियोजना से पर्यावरण में रेडियो सक्रिय रिसाव की कोई घटना नहीं हुई है ।

(ख) तथा (ग) नाभिकीय ऊर्जा के सभी पहलुओं अर्थात् स्थल चयन, डिज़ाइन, निर्माण, कमीशनन एवं प्रचालन में संरक्षा को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाती है । परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) की संहिता और दिशा-निर्देशों के अनुसार, नाभिकीय विद्युत संयंत्रों को अतिरिक्तता तथा विविधता के संरक्षा सिद्धांतों को अपनाते हुए अभिकल्प किया जाता है और गहन संरक्षा प्रणाली का अनुपालन करते हुए उनमें 'विफल-संरक्षित (फेल-सेफ)' अभिकल्प विशिष्टताएं उपलब्ध कराई जाती हैं । संयंत्रों का प्रचालन, उच्च अर्हता प्राप्त, प्रशिक्षित एवं लाइसेंसधारी कार्मिकों द्वारा, सुस्पष्ट रूप से निर्धारित प्रक्रिया को अपनाते हुए किया जाता है । नाभिकीय विद्युत संयंत्रों में कार्यरत सभी कार्मिकों को उपयुक्त वैयक्तिक संरक्षा उपकरण और मॉनीटरन सहायक सामग्री प्रदान की जाती है । नाभिकीय विद्युत

संयंत्रों की सुरक्षा का एईआरबी द्वारा लगातार मॉनीटरन और समीक्षा की जाती है।

परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, एक विस्तृत आपातकालीन तैयारी योजना प्रत्येक नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थलों पर उनके प्रचालन के आरम्भ होने से पहले बनाई जाती है । आपातकालीन तैयारी योजना में आपात स्थिति की संभावित स्थिति में जनता की निकासी के लिए प्रभावी उपाय शामिल होते हैं ।

राज्य प्राधिकारियों और नामित रिस्पॉंडरों (सुरक्षा कार्मिक सहित) को आपात रिस्पॉंस के सभी पहलुओं में प्रशिक्षित किया जाता है । आस-पास के क्षेत्रों में रह रहे स्थानीय लोगों को आपात स्थिति की असंभावित घटना में की जाने वाली कार्रवाई से अवगत कराया जाता है । योजना के अनुसार आपात स्थिति के अभ्यास समय-समय पर किए जाते हैं और फीडबैक के आधार पर प्रक्रिया में यदि कोई सुधार आवश्यक है तो किया जाता है । ऑन साइट और ऑफ साइट रिस्पॉंस बल के साथ सुरक्षा आकस्मिकता पर नियमित अभ्यास किया जाता है ।

* * * * *